न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ अंजली राजोरिया I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	बउनवान			दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
08 / 2024	2024 / 18	श्री जगन्नाथ पिता नन्दलाल पाटीदार निवासी दलोट	बनाम	1. श्री दिलीप पिता रतनलाल पाटीदार 2. सरपंच ग्राम पंचात दलोट 3. सचिव ग्राम पंचायत दलोट	07.05.2022	19.05.2025
09 / 2024	2024 / 19	श्री जगन्नाथ पिता नन्दलाल पाटीदार निवासी दलोट	बनाम	1. श्री रतन पिता नाथुलाल पाटीदार 2. सरपंच ग्राम पंचात दलोट 3. सचिव ग्राम पंचायत दलोट	07.05.2022	
02 / 2015	2023 / 151	श्री दिलीप पिता रतनलाल पाटीदार	बनाम	1. सरपंच ग्राम पंचात दलोट 2. सचिव ग्राम पंचायत दलोट 3. श्री जगन्नाथ पिता नन्दलाल पाटीदार निवासी दलोट	28.01.2015	
01 / 2023		श्री सुरजमल पिता गौतमलाल मीणा निवासी दलोट	बनाम	1. श्री जगन्नाथ पिता नन्दलाल पाटीदार निवासी दलोट 2. सरपंच ग्राम पंचात दलोट 3. सचिव ग्राम पंचायत दलोट	12.10.2023	

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत्

उपस्थिति :–

1. श्री बाबुलाल जैन (अधिवक्ता निगरानीकार)
2. श्री सी.पी. सिंह (अधिवक्ता विपक्षीगण)
3. पैरोकार सरकार (विपक्षी संख्या 2 व 3)

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

—: आदेश :—

दिनांक 19.05.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत् विरूद्ध ग्राम पंचायत दलोट द्वारा श्री रतनलाल पिता नाथुलाल पाटीदार निवासी दलोट एवं श्री दिलीप पुत्र रतनलाल पाटीदार निवासी दलोट के पक्ष में दिनांक 21.10.2011 जारी आबादी भूमि विक्रय विलेख अन्तर्गत नियम 167(1) पंचायतीराज नियम 1996 के तहत् इसी प्रकार ग्राम पंचायत दलोट द्वारा श्री जगन्नाथ पिता नन्दलाल पाटीदार निवासी दलोट के पक्ष में दिनांक 21.02.1980 को जरिये मिशल क्रमांक 17/1976–77 जारी आबादी भूमि विक्रय विलेख के संबंध में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत निगरानियों का निस्तारण न्यायालय के प्रकरण संख्या 33/2014 एवं प्रकरण संख्या 34/2014 तथा 02/2015 के द्वारा न्यायालय निर्णय दिनांक 20.07.2015 के द्वारा करते हुए विवादित ग्राम पंचायत संकल्पों एवं पट्टों के संबंध में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधिश वरिष्ठ खण्ड़ अरनोद जिला प्रतापगढ़ में विचाराधीन अस्थाई निषेधज्ञा प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 16/2011 एवं वाद संख्या 21/2011 में पारीत होने वाले निर्णयों के अधीन पालना आधार पर निर्णित की गई थी।

न्यायालय से निर्णित रिविजन याचिकाओं में पारीत निर्णय दिनांक 20.07.2015 एवं ग्राम पंचायत दलोट से पारीत आदेश दिनांक 07.09.2015 से असंतुष्ट होकर श्री रतनलाल पिता नाथुलाल पाटीदार तथा श्री दिलीप पिता रतनलाल पाटीदार निवासी दलोट द्वारा उक्त निर्णयों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष याचिका संख्या SB CW 11076/2015 एवं 11131/2015 प्रस्तुत की गई थी। उक्त याचिकाओं अन्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 15.09.2022 एवं 21.09.2022 के अनुसार न्यायालय हाजा से निर्णित निगरानियों में वर्णित विवादित भू–खण्ड़ विलेखों की वैधता/अवैधानिकता पर अन्तिम विनिश्चय का अभाव बताते हुए न्यायालय हाजा से पारीत निर्णय दिनांक 20.07.2015 तथा ग्राम पंचायत दलोट द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 07.09.2015 को पक्षकारान की समुचित सूनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का अभाव मानते हुए उक्त आदेशों को निरस्त करते हुए रिविजन प्राधिकारी स्तर से उभयपक्षों को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विवादित पट्टों की वैधानिकता के निर्धारण हेतु प्रति प्रेषित निर्णय प्रदान किया गया था।

उक्त क्रम में उभय याचिका कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पत्रों मय निर्णय प्रतियों के आधार पर न्यायालय हाजा से निर्णित निगरानियों को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। इस हेतु प्रकरण के समस्त पक्षकारान को जरिये अधिवक्ता सूचित किया गया। जिस पर निगरानीकार अधिवक्ता श्री बाबुलाल जैन एवं विपक्षीगण कि ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी सिंह द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय से

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

निर्णित याचिकाओं में प्रदन निर्देशों के क्रम में बहस अन्तिम प्रस्तुत करते हुए निर्णित निगरानियों में विचारणीय आबादी विक्रय विलेखों की वैधानिकता/अवैधानिकता के संबंध में अपने अपने अभिवचन प्रस्तुत किय गये।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा पुनः अवगत कराया कि ग्राम पंचायत दलोट द्वारा दिनांक 21.10.2011 श्री रतनलाल पिता नाथुलाल पाटीदार निवासी दलोट एवं श्री दिलीप पुत्र रतनलाल पाटीदार निवासी दलोट के पक्ष में जारी आबादी भूमि विक्रय विलेख अन्तर्गत नियम 167(1) पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में विहित वर्णित नियमों 145, 148, 150, 152, 156 की पालना नहीं की गई। जिसके आधार पर तत्कालिन विकास अधिकारी अरनोद द्वारा सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत दलोट को उक्त विवादित पट्टा विलेखों को निरस्त करने के निर्देश जरिये पत्र क्रमांक :– पसअ/2014–15/583(ब) दिनांक 04.07.2014 को जारी किये गये तथा उक्त निर्देशों की पालना हेतु पुनः जरिये पत्र क्रमांक :– पसअ/2014–15/942 दिनांक 26.08.2014 को सरपंच/सचिव हेतु संयुक्त रूप से जारी किया था। इन्हीं पट्टा विलेखों से कारित मौका विवाद के विषयक् माननीय सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड़ अरनोद में विचाराधीन सिविल वाद प्रकरण संख्या 21/2011 एवं प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 16/2011 के विनिश्चय हेतु न्यायालय द्वारा तलब मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 14.02.2012 का हवाला देते हुए अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकार (जगन्नाथ पिता नन्दलाल पाटीदार) के पक्ष में जारी पट्टा विलेख दिनांक 21.02.1980 (साईज 30' X 40' = 1200 वर्गफीट) भूमि के सामने पड़ी सड़क सीमा की रिक्त भूमि को अस्थाई व्यापार व्यवसाय हेतु पूर्व में किराये पर दी गई भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत दलोट द्वारा पारीत प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 06.03.2010 के द्वारा किराये पर स्वीकृत प्रस्ताव को पंचायत समिति की साधारण सभा के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 14.02.2013 के द्वारा निरस्त किया जा चुका था जिसे जिला परिषद प्रतापगढ़ की साधारण सभा दिनांक 05.08.2013 के प्रस्ताव संख्या 14 (ब) के द्वारा अनुमोदित स्वीकृत किया जा चुका है। फिर भी ग्राम पंचायत दलोट द्वारा उक्त भू–खण्ड़ भूमियों की निलामी करते हुए स्थाई रूप से विपक्षीगण के नाम स्थाई पट्टे जारी किये गये हैं। जो काबिले निरस्त योग्य है।

इसी प्रक्रम में उपस्थित अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत दलोट द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में जारी किये गये पट्टाकृत भू–खण्डों की भूमि नियमानुसार ग्राम पंचायत की आबादी भूमि होने के आधार पर व्यवसायिक उपयोग हेतु किराये पर ले रखी थी। जिसका किराया भी ग्राम पंचायत को नियमित रूप से अदा किया जाता रहा है। उक्त भू–खण्ड़ भूमियों की ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् निलामी किये जाने की स्थिति में विपक्षीगण द्वारा उक्त पट्टाकृत भूमियों को अधिकतम निलामी राशि पर क्रय किये जाने कि स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.10.2011 को विपक्षीगण के पक्ष में 14' X 19' = 266 वर्गफीट के

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

दो पट्टे 184/प्रतिवर्ग फीट की दर से 48944/– रूपये प्रत्येक पट्टा विलेख हेतु ग्राम पंचायत मद में जमा कराने उपरान्त प्राप्त किये गये है। जो समस्त प्रकार से निर्विवादित है किन्तु निगरानीकार द्वारा अन्यथा वाद विवाद करने की नियत एवं राजनैतिक सरोकार के बल पर विपक्षीगण के पट्टे निरस्त कराने हेतु आमदा है। जबकि पंचायतीरात नियम 1996 के नियम 144 के अनुसार ग्राम पंचायत को व्यवसायिक भू–खण्ड़ आवंटित करने का अधिकार है। इस प्रश्न के विनिश्चय हेतु भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने निर्णय में विवेचनीय बिन्दु बताया गया है। अतः विपक्षीगण के पक्ष में जारी पट्टा विलेखों की वैधानिकता को स्वीकारोक्ति प्रदान करने हेतु निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानीयां सारहीन तथ्यहीन होने से खारीज फरमाई जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड दस्तावेजों के साथ साथ विवादित पट्टा विलेखों तथा उक्त पट्टा विलेखों के क्रम में ग्राम पंचायत दलोट एवं पंचायत समिति अरनोद स्तर से कि गई कार्यवाही तथा माननीय सिविल न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अरनोद के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों के संदर्भ में प्राप्त मौका कमीश्नर रिपोर्ट तथा तत्कालिन पंचायत समिति अरनोद की साधारण सभा दिनांक 14.07.2014 के दौरान विवादित प्रकरणों के संबंध में लिये गये प्रस्तावों के क्रम में ग्राम पंचायत दलोट सरपंच/सचिव को प्रेषित पत्राकों का गहनता पूर्वक अवलोकन अध्ययन प्रचलित विधियों के परिपेक्ष्य में किया गया।

उपरोक्त विवेचन कि रोशनी में संज्ञान में आया कि ग्राम पंचायत दलोट द्वारा विपक्षीगण दिलीप पिता रतनलाल पाटीदार एवं रतनलाल पिता नाथुलाल पाटीदार निवासी दलोट के पक्ष में दिनांक 21.10.2011 जारी आबादी भूमि विक्रय विलेख अन्तर्गत नियम 167(1) पंचायतीराज नियम 1996 के तहत् जारी किये गये है। किन्तु उक्त पट्टाकृत भू–खण्ड़ भूमियों के संबंध में प्रारम्भ से मौका एवं रिकार्ड की स्थिति पर वाद–विवादों के संचालित रहते विपक्षीगण एवं निगरानीकार सक्षम स्तरों पर वाद पत्र प्रस्तुत करते चले आए है। जिसके उदाहरण माननीय सिविल न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश खण्ड़ अरनोद के समक्ष प्रकरण संख्या 16/2011 एवं 21/2011 विचाराधीन रहें हैं तथा ग्राम पंचायत दलोट द्वारा जारी पट्टों के विषय में पंचायत समिति अरनोद की साधारण सभा में भी दिनांक 14.02.2013 उक्त पट्टों के संबंध में प्रस्ताव निर्णित होना तथा उक्त प्रस्ताव का जिला परिषद् प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 05.08.2013 को अनुमोदन किया जाना भी संज्ञान में आया है तथा न्यायालय हाजा स्तर से पूर्व में निर्णित निगरानी संख्या 33/14 एवं 34/14 निर्णय दिनांक 20.07.2015 के दौरान उक्त पट्टो के वैधानिकता का विनिश्चय सिविल न्यायालय के निर्णय के अधीन रखा जाना अपेक्षित प्रतीत होने से अन्तिम विनिश्चय अतिशेष रहा हो परन्तु विवादित पट्टा विलेखों के संबंध में दर्शित वाद विवाद एवं पट्टाकृत भू–खण्ड़ों की मौका एवं रिकार्ड की स्थिति के मदेनजर उद्रीत होता है

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख संशयप्रद होकर उक्त पट्टों का वर्तमान नियमानुसार पंजीकरण नहीं होना भी उनकी अवैधानिकता और नवीनीकरण की स्थिति को (Voidable) प्रतिबिंबित/प्रतिबंधित करता है। जिससे विवादित पट्टा विलेखों की वैधता (Void) हो जाने से उक्त पट्टाकृत भूमियों के संबंध में आगामी वैधता और नवीनीकरण की स्थिति ग्राम पंचायत दलोट के नगरपालिका दलोट में क्रमोन्नत हो जाने से उक्त पट्टों के निरस्तीकरण आदेश उपरान्त भी उक्त पट्टा विलेखों तथा पट्टाकृत भू–खण्ड़ भूमियों के संबंध में पंचायतीराज विधियों के स्थान पर नगरपालिका क्षेत्र हेतु प्रचलित विधियों के तहत् निर्धारण योग्य है।

साथ ही निगरानीकार के पक्ष में जारी पट्टा विलेख दिनांक 21.02.1980 के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल आदेशिका ग्राम पंचायत दलोट के अनुसार तत्कालिन अतिरिक्त जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक :– भू.वि./78/891 दिनांक 17/01/79 के द्वारा 3871/–रूपयों की राशि पर अनुमोदित होकर उक्त राशि ग्राम पंचायत मद में जमा होने उपरान्त उक्त जारी पट्टा मिशल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो चुकी है। जिससे उक्त पट्टा विलेख की वैधता के विषय में 40–45 वर्षो बाद किसी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। संबंधित पत्रावलियों की नकल आदेशिकओं में इस आशय के नोट लगवाया जाकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

अतः निगरानीयां निगरानीकार स्वीकार की जाकर वकुलाय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि विवादित पट्टों एवं पट्टाकृत भूमियों के संबंध में वर्तमान स्थानिय निकाय नगरपालिका नियमों के तहत् नवीनतम पट्टा कार्यवाही प्रस्तावित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सरेईजलास सुनाया जाकर लिपिबद्व किया गया है।

जिला कलक्टर प्रतापगढ़ ★ जिला कलक्टर प्रतापगढ़

(डॉ.अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ